



NAAC A++

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Email:- registrar@ccsuniversity.ac.in

website:-www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक : आर0ओ0 / 159 / 2025-26

दिनांक : 28/01/26

तत्काल/अति आवश्यक

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय :- वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अग्रसारित किये गये पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदनों के सत्यापन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव के पत्रांक संख्या :194/2025/3483/26-3-2025-1513952 दिनांक 24.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आवेदित स्कॉलरशिप फार्म को द्वितीय चरण में 27 जनवरी तक अग्रसारित करने के आदेश दिये गये थे।

उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या पी0ए0/4602 दिनांक 16.12.2025 के क्रम में दिए गए प्रारूप में तत्काल सूचनायें श्री एस0पी0 सिंह के पास एस0सी0आर0आई0टी0 में दिनांक 30.01.2026 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सूचनायें उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में कोई भी प्रतिकूल आदेश/कार्यवाही की जाती है तो समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की होगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

06. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
07. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को सूचनार्थ।
08. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, छात्रवृत्ति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
09. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
10. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।


कुलसचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/4602

दिनांक :- 16-12-2025

तत्काल/अति आवश्यक

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव,

समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय :- वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अग्रसारित किये गये पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदनों के सत्यापन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव के पत्रांक संख्या :119/2025/1400/26-3-2025-1513982 दिनांक 18.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान/महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर अग्रसारित किये गये पात्र छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन छात्रवृत्ति का डाटा दिनांक 18.12.2025 तक विश्वविद्यालय से सत्यापित किया जाना है। डाटा सत्यापन हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रस्तुत किया जाना है।

01. संस्था द्वारा छात्रवृत्ति फार्म को अग्रसारित किये गये डेटा को सत्यापित किये जाने के सम्बन्ध में मांगपत्र जिसमें निम्नलिखित सूची के अनुसार विद्यार्थियों का विवरण अंकित हो।

क्र.सं0	पाठ्यक्रम का नाम	नवीन आवेदन	नवीनीकरण आवेदन
	कुल आवेदन		

02. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सम्बद्धता आदेश की प्रतिलिपि।

03. महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित किये गये छात्रवृत्ति के विद्यार्थियों के विवरण की पी0डी0एफ0 (पैन ड्राइव)।

04. संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा फाइनल सममित किये गये छात्रवृत्ति आवेदन से सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा वर्गवार विवरण संलग्नक प्रारूप-अ के अनुसार।

05. शपथ पत्र (रु0 100/- संस्थान के प्राचार्य/सचिव) संलग्नक प्रारूप-ब के अनुसार।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समयान्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि विश्वविद्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सूचनायें उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में कोई भी प्रतिकूल आदेश/कार्यवाही की जाती है तो समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की होगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को सूचनार्थ।
- छात्र कल्याण अधिष्ठाता, छात्रवृत्ति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव

संलग्नक- प्रारूप अ

पाठ्यक्रम एवं वर्गवार विद्यार्थियों का विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार (D.F./Midd/Sec)	पाठ्यक्रम का प्रकार (D.F./Midd)	पाठ्यक्रम का नाम (नामवार) (उपहारवार)	पाठ्यक्रम का भाग	समय का संख्या	जाति	दिवस आदि	महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित किये गये विद्यार्थियों का विवरण			
									अपि0वर्ग	अपि0	अपि0	कुल
01				वी0ए0	प्रथम							
02				वी0ए0	द्वितीय							
03				वी0ए0	तृतीय							
04				वी0ए0	प्रथम							
05				वी0ए0	द्वितीय							
06				वी0ए0-सी0	प्रथम							
07				वी0ए0-सी0	द्वितीय							
08				वी0ए0-सी0	तृतीय							
09				ए0ए0	प्रथम							
10				(विषयवार)	द्वितीय							
11				(विषयवार)	प्रथम							
12				(विषयवार)	द्वितीय							

महाविद्यालय का नाम एवं मुहर

प्रारूप- ब

शपथ पत्र का प्रारूप

- 01 महाविद्यालय द्वारा प्रेषित छात्रवृत्ति के गॉग पत्र में कोई भी विद्यार्थी अपात्र एवं फर्जी नहीं हैं।
- 02 प्रत्येक विद्यार्थी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अलग-अलग पत्रावली में सुरक्षित रखा गया है, जिसे निरीक्षण के समय तत्काल महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- 03 सभी विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत दर्ज कराई जा रही है।
- 04 प्रत्येक विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के स्तर पर महाविद्यालय में परीक्षाओं में प्रतिभाग किया है अथवा करेंगे।
- 05 विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या/बैंक विवरण सही है जिसका महाविद्यालय स्तर से मिलान कर लिया गया है।
- 06 महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के जाति, आय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्रों को राजस्व विभाग की वेबसाइट से सत्यापित कर लिया गया है।
- 07 प्रत्येक विद्यार्थी के हाईस्कूल, इण्टर तथा ग्रेजुएशन के प्रमाण-पत्रों का मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान विभाग द्वारा कर लिया गया है।
- 08 विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से पारिवारिक आय समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत है।
- 09 सत्र 2025-26 में महाविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों (पाठ्यक्रम का नाम) में अध्ययनरत सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये गये डेटा को फारवर्ड करते हुये पाठ्यक्रमवार विस्तृत विवरण संलग्न सूची के अनुसार है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र में दी गई समस्त सूचना सत्य एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्या छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।